

एनएमआरसी पर 1 लाख रुपये जुर्माना

■ प्रस, नोएडा : सेक्टर-51 व 52 मेट्रो स्टेशन के बीच बने बॉकवे को टिन शीट से कवर करने का काम तेजी से चल रहा है लेकिन एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर धूल उड़ाने हुए यह काम किया जा रहा है। इसके चलते अर्धरिटी ने एनएमआरसी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। आसपास सिलिकॉन सिटी पर सीवर का पानी नाले में डालने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा है। सेक्टर-76 में बन रहे स्पेक्ट्रम मॉल को चेतावनी दी गई है कि नाले पर डाला हुआ स्लैब हटाकर अर्धरिटी को सूचित करे।